

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कोटा

समायोजन आदेश

अध्यापक लेवल 2 सामाजिक

श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर, दिनांक: 24.5.2017 एवं निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/3बी/2017 दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नानुसार उमावि/मावि में समन्वित उप्रावि/प्रावि के 6 डी से चयनित 3 बी के तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को अध्यापक लेवल 2 सामाजिक के रिक्त पद पर समायोजन हेतु आयोजित परामर्श कैंप में इनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में किया जाता है। इनका माह जून 2017 का वेतन समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

कस	6डी की सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	समायोजन उपरान्त पदस्थापन स्थान	विशेष वर्ग	लिंग	जन्मतिथि
1	2	4					
1	913	श्वेता शर्मा	राबाउमावि मण्डाना	रामावि केशवपुरा से0 2/3 कोटा	परित्यक्ता	F	21.11.69
2	432	मन्जूलता शर्मा	रामावि चन्द्रसल	राउमावि केशवपुरा आवासन मण्डल कोटा		F	14.11.57
3	619	सीमा शेखावत	राबाउमावि विज्ञाननगर	राबाउमावि म0न0।।। कोटा		F	08.07.75
4	1063	कौशल्या बोकन	राउमावि मण्डाना	राबामावि उद्योगनगर कोटा		F	12.10.79
5	617	गजेन्द्र सिंह राजावत	रामावि चन्द्रसल	रामावि झालीपुरा कोटा		M	05.01.68

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को दें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 14.06.2016 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर संबंधित लेवल/विषय पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(श्रीमति एन्जिलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा
दिनांक : 4.6.2017.

क्रमांक: जिशिअ/मा/को/संस्था-1/3बी/2017/163

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, कोटा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि कोटा।
6. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
8. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

(श्रीमति एन्जिलिका पलात)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक कोटा